उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड

(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग,
लखनऊ।

संख्या :09–विनियम एवं काविनी/2014–01–विनियम/2000 दिनांक : 29 जनवरी, 2014

कार्यालय–ज्ञाप

उ0प्र0 शासन द्वारा दिनांक 07–07–1999 को अधिसूचित उ0प्र0 विद्युत सुधार अधिनियम–1999 की धारा–1 की उपधारा (3) के अधीन दिनांक 14–01–2000 से उ0प्र0 शासन, ऊर्जा विभाग की अधिसूचना सं0–148–पी–1/2000 दिनांक 14–01–2000 से उक्त अधिनियम प्रवृत्त हो गया। तद्नुसार अधिसूचना सं0–149–पी–1/2000–24 दिनांक 14–01–2000 से उ0प्र0 विद्युत सुधार अन्तरण स्कीम लागू हो गयी। इस अन्तरण स्कीम की धारा–6 (10) के निम्नांकित प्राविधानों के अनुसार उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय ज्ञाप सं0–4–विनियम–23/पी0सी0एल0/2000–1–रेग्युलेशन–2000 दिनांक 03–02–2000 द्वारा कुछ विनियमावलियों/शासनादेशों की सूची इंगित करते हुए यह प्राविधानित किया गया कि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा अपने अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा शर्ते सम्बन्धी मामलों के निस्तारण के सम्बन्ध में विनियम बनाये जाने तक उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद द्वारा अपने अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी मामलों के निस्तारण हेतु पूर्व में बनाये गये विनियम (अद्यतन संशोधित) एवं तत्सम्बन्धी जारी प्रशासनिक आदेश कारपोरेशन के अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी मामलों के निस्तारण हेतु आवश्यक परिवर्तनों सहित (Mutatis Mutandis) लागू माने जायेगें।

धारा–6 (10) :–

"Subject to the provisions of the Act and the Scheme, the Transferee shall frame regulations governing the conditions of service of personal transferred in the Transferee under this scheme and till such time, the existing service conditions of the Board shall mutatis-mutandis apply"

2. कारपोरेशन के उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप सं0–4–विनियम–23/पी0सी0एल0/2000–1–रेग्युलेशन–2000 दिनांक 03–02–2000 में दी गयी सूची में यद्यपि कुछ नियमावलियों/शासनादेशों का उल्लेख नहीं किया गया था तथापि इसका तात्पर्य यह नहीं था कि वे उक्त अन्तरण स्कीम की धारा–6(10) के अन्तर्गत आवरित एवं प्रभावी नहीं है। वर्तमान में इसी भ्रम की स्थिति के कारण अधिकारियों/कर्मचारियों के कुछ सेवा सम्बन्धी मामलों के निस्तारण में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। जबकि उक्त अन्तरण स्कीम की धारा 6(10) के प्राविधान पूर्णतया स्पष्ट हैं एवं इस सम्बन्ध में कोई भ्रम की स्थिति नहीं है।

क्रमशः.....................2/–

3. उपरोक्त स्थिति उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल के समक्ष उनकी दिनांक 27–12–2013 को सम्पन्न हुई 103 वीं बैठक की मद सं0–103(18)/2013 पर प्रस्तुत की गयी जिस पर सम्यक विचारोपरान्त निदेशक मण्डल द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में निम्नवत् स्पष्टीकरण जारी कर दिया जाये :–

103(18)/2013 :

''निदेशक मण्डल द्वारा निर्देशित किया गया कि कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं0–4–विनियम–23/पी0सी0एल0/2000 –1–रेग्युलेशन–2000 दिनांक 03–02–2000 के अनुक्रम में यह स्पष्ट कर दिया जाये कि उ0प्र0 विद्युत सुधार अन्तरण स्कीम की धारा–6(10) के प्राविधानों के अनुसार इस कार्यालय ज्ञाप में इंगित विभिन्न विनियमावलियों के अतिरिक्त पूर्ववर्ती परिषद तथा शासन की अन्य विनियमावलियॉ यथा (1) उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–1999 (2) सी0एस0आर0 का अनुच्छेद–351ए (3) एफ0एच0बी0 के सभी वाल्युम एवं (4) शासन द्वारा तत्समय प्रख्यापित एवं प्रभावी अन्य विनियमावलियॉ भी इस कार्यालय ज्ञाप सं0–4–विनियम–23/पी0सी0एल0/2000–1–रेग्युलेशन–2000 दिनांक 03–02–2000 से Mutatis Mutandis लागू, आवरित एवं प्रभावी मानी जायेगीं''।

4. निदेशक मण्डल के उपरोक्त प्रस्तर–3 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से
अध्यक्ष

संख्या :09(1)–विनियम एवं काविनी/2014–01–विनियम/2000 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा/केस्को, कानपुर।
5. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. अध्यक्ष जॉच समिति–प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
7. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय)/महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/उपविधि अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को उनके पत्रांक–10/पाकालि/बैठक 103(18)/2014 दिनांक 10–01–2014 के सन्दर्भ में।
9. अधिशासी अभियन्ता (वेबसाइट)।

२९/1/14

(जावेद अहमद)
संयुक्त सचिव